

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास सी-स्कीम जयपुर 302013
क्रमांक:-प.1(ग)()का/एस.एम.ई-3/डी.एल.बी./स.स.भर्ती/26/01. दिनांक:-यथा ईहस्ताक्षर

संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2026

स्वच्छ भारत मिशन एवं सफाई व्यवस्था को नगरीय निकायों में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए राज्य की 183 नगरीय निकायों में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत निकायवार विज्ञापित संविदा सफाई कर्मचारी के कुल 24752 रिक्त पदों पर संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु इच्छुक, विज्ञप्ति में वर्णित शर्तों एवं निर्बन्धनों के अध्याधीन अभ्यर्थियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किये जातें हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन दिनांक **15.08.2026 से दिनांक 28.09.2026** रात्रि 23:59 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।

विशेष नोट:-

1. उक्त संवर्ग के पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित पद है।
2. सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त संवर्ग के पदों को बढ़ाना, घटाना या निरस्त करना/प्रत्याहारित करने का अधिकार होगा और इन पदों के नियम एवं शर्तों को संशोधन करने का अधिकार होगा।
3. सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए एवं बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार होगा।
4. अभ्यर्थी किसी भी राजकीय सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए या उसे राजकीय सेवा से अनुशासनात्मक आधार पर सेवा से पृथक किया हुआ नहीं होना चाहिए।
5. ऐसे अभ्यर्थी उक्त भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे जिन्हें अनैतिक आचरण के किसी भी मामले में दोष सिद्ध पाया गया हो।
6. विज्ञापन में दर्शायी गयी शर्तें और कार्य का विवरण प्रतीकात्मक है और सक्षम प्राधिकारी को कार्यक्रम के हित में इसमें परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार होगा।
7. इस विज्ञापन या इसमें वर्णित शर्तों में कोई परिवर्तन या अद्यतन करने की सूचना विभाग की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
8. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर उसे भर्ती प्रक्रिया में प्रवेश नहीं दिया जायेगा एवं उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत/असत्य सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार के क्रम में विभाग द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Signature valid

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref No.:
23632976
M e-Sign



1. ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया:- ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application Form) लिये जायेगें जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र अथवा स्वयं के स्तर से SSO portal के माध्यम से भरा जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवें। तदुपरान्त ही अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

- I. ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों का विभाग के ऑनलाईन पोर्टल <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> अथवा एस.एस.ओ. पोर्टल <https://sso.rajasthan.gov.in> से Login करने के उपरान्त Citizen apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन करना होगा। इसके बाद अभ्यर्थी Apply Now पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) का एक बारीय पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम One Time Registration (OTR) टैब पर अपनी श्रेणी Unreserved (UR) अथवा Reserved (EWS/OBC-NC/MBC-NC/SC/ST/SAH) श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का विवरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी को One Time Registration (OTR) के समय भरी गई श्रेणी, दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही Options भरने हेतु मिलेंगे। अतः अभ्यर्थी One Time Registration (OTR) प्रक्रिया को सावधानी से भरें। One Time Registration (OTR) प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अभ्यर्थी एस.एस.ओ. के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र में उसके द्वारा One Time Registration (OTR) में दर्ज की गई सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी एवं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। **ई-मित्र संचालक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में यदि कोई गलत प्रविष्टि की जाती है तो उसे अभ्यर्थी की गलती ही माना जावेगा।** आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो कैप्चर कर आवेदन को सबमिट किया जाना आवश्यक है। आवेदक को ऑनलाईन आवेदन में दृश्य चिन्ह (Visible mark) भरना अनिवार्य है।
- II. अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration (OTR) की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् OTR Profile में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड/पैन कार्ड/वोटर कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस आई.डी. विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।
- III. यदि अभ्यर्थी के आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त करा लेना चाहिए।
- IV. यदि अभ्यर्थी अपना OTR रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड/जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSO ID के माध्यम से करता है तो उसे सैकण्डरी की अंकतालिका व एक पहचान दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- V. अभ्यर्थी OTR रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित लम्बित Transaction का सत्यापन समय रहते हो सके अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- VI. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें। महत्वपूर्ण सूचनाएं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की एस.एस.ओ. आई.डी. से ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें। अन्य दुसरी एस.एस.ओ. आई.डी. से भरा गया आवेदन मान्य नहीं किया जावेगा।
- VII. आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् आवेदन पत्र क्रमांक (Application Id) आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (Application I.D) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के Preview को आवेदन Submit नहीं माना जायेगा।

Signature valid

RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

- VIII. आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है, उसी श्रेणी में ऑनलाईन आवेदन करें। गलत सूचना देने/तथ्य छुपाने पर विभाग अभ्यर्थी पर नियमानुसार कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।
- IX. Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे चयन प्रक्रिया से पृथक कर दिया जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- X. अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- XI. इस भर्ती के संबंध में समस्त पत्राचार विभाग की वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> के माध्यम से किया जायेगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये विभाग की वेबसाइट को निरंतर रूप से देखते रहें।
- XII. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
- XIII. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त भरे आवेदन पत्र का प्रिन्ट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।
- XIV. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन-पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन-पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) **अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है**, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन-पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के Preview को आवेदन Submit न मानें।
- XV. आवेदक को आवेदन के समय जनाधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी। अतः अपने जनाधार कार्ड को 'अपडेट' रखें।

2. एकबारीय पंजीयन शुल्क:—कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी एस.एस.ओ. आई.डी. द्वारा लॉगिन करने के बाद एकबारीय पंजीयन प्रणाली One Time Registration (OTR) ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन जमा करवाने होंगे।

1. सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी	रुपये 600/-
2. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी	रुपये 400/-
3. दिव्यांगजन	रुपये 400/-

नोट:-

- पूर्व में एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दुबारा शुल्क देय नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhhar Juikar
Designation: Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajRaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

3. पदों का विवरण:- नगरीय निकायवार कुल रिक्तियों की स्थिति निम्नानुसार है, जो आवश्यकतानुसार घटायी या बढ़ायी जा सकती है:-

(गैर अनुसूचित क्षेत्र)

SR.NO.	ULB NAME	नगरीय निकाय	TOTAL VACANT POST
1	AJMER	अजमेर	290
2	KISHANGARH	किशनगढ़	81
3	PUSHKAR	पुष्कर	68
4	BEAWAR	ब्यावर	201
5	JAITARAN	जैतारण	64
6	VIJAINAGAR	विजयनगर	74
7	DIDWANA	डिडवाना	111
8	KUCHAMAN CITY	कुचामनसिटी	141
9	LADNU	लाडनू	56
10	MAKRANA	मकराना	237
11	NAWA	नांवा	20
12	PARBATSAR	परबतसर	24
13	KEKRI	केकड़ी	74
14	SARWAR	सरवाड	32
15	TODARAISINGH	टोड़ारायसिंह	56
16	KUCHERA	कुचेरा	27
17	MERTA CITY	मेड़ता सिटी	71
18	MUNDWA	मूण्डवा	36
19	NAGPUR	नागौर	160
20	JHAJHA	जहाजपुर	16
21	SHAHUPURA	शाहपुरा (भीलवाडा)	47
22	DEOLI	देवली	14
23	MALPURA	मालपुरा	80
24	NIWAI	निवाई	42
25	TONK	टोंक	242
26	UNIARA	उनियारा	14
27	ASIND	आसीन्द	30
28	BHILWARA	भीलवाड़ा	296
29	GANGAPUR	गंगापुर	41
30	GULABPURA	गुलाबपुरा	58
31	MANDALGARH	माण्डलगढ़	24
32	ALWAR	अलवर	426
33	KHERLI	खेरली	25
34	RAJGARH (ALWAR)	राजगढ़(अलवर)	39
35	RAMGARH (SIKAR)	रामगढ़ (सीकर)	109

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

36	BANDIKUI	बांदीकुई	101
37	DAUSA	दौसा	211
38	LALSOT	लालसोट	90
39	JAIPUR	जयपुर	4811
40	BAGRU	बगरू	100
41	CHAKSU	चाकसू	64
42	CHOMU	चौमू	183
43	JOBNER	जोबनेर	60
44	KISHANGARH RENWAL	किशनगढ़ रेनवाल	73
45	PHULERA	फुलेरा	63
46	SAMBHAR	सांभर	64
47	SHAHUPURA(J)	शाहपुरा(जयपुर)	25
48	BHIWADI	भिवाड़ी	350
49	KHAIRTHAL	खैरथल	103
50	TIJARA	तिजारा	76
51	BEHROR	बहरोड़	78
52	KOTPUTLI	कोटपुतली	148
53	VIRATNAGAR	विराटनगर	25
54	BISSAU	बिसाउ	72
55	CHIRAWA	चिड़ावा	130
56	JHUNJHUNUN	झुंझुनूं	287
57	MANDAWA	मण्डावा	71
58	MUKANDGARH	मुकन्दगढ़	42
59	NAWALGARH	नवलगढ़	176
60	PILANI	पिलानी	96
61	SURAJGARH	सुरजगढ़	67
62	VIDYAVIHAR	विद्याविहार	44
63	KHETRI	खेतड़ी	27
64	NEEM-KA-THANA	नीम का थाना	73
65	SRI MADHOPUR	श्रीमाधोपुर	50
66	UDAIPURWATI	उदयपुरवाटी	87
67	FATEHPUR	फतेहपुर	248
68	KHANDELA	खण्डेला	30
69	LACHHMANGARH (SIKAR)	लक्ष्मणगढ़ (सीकर)	98
70	LOSAL	लोसल	84
71	REENGUS	रिंगस	90
72	SIKAR	सीकर	480
73	BALOTRA	बालोतरा	85
74	BARMER	बाड़मेर	164
75	JAISALMER	जैसलमेर	149

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajRaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

76	POKARAN	पोकरण	67
77	JODHPUR	जोधपुर	890
78	BILARA	बिलाड़ा	65
79	PIPAR CITY	पिपाड़ सिटी	89
80	PHALODI	फलोदी	75
81	BHINMAL	भीनमाल	38
82	JALORE	जालौर	98
83	BALI	बाली	39
84	KHUDALA FALNA	खुडाला-फालना	63
85	PALI	पाली	287
86	RANI	रानी	37
87	SADRI	सादड़ी	67
88	SOJAT CITY	सोजत सिटी	95
89	SUMERPUR	सुमेरपुर	68
90	TAKHATGARH	तख्तागढ़	29
91	SANCHORE	सांचौर	85
92	PINDWARA	पिण्डवाडा	26
93	SHEOGANJ	शिवगंज	5
94	SIROHI	सिरोही	57
95	BAYANA	बयाना	75
96	BHARATPUR	भरतपुर	450
97	BHUSAWAR	भुसावर	55
98	NADBAI	नदबई	50
99	WEIR	वैर	40
100	DEEG	डीग	76
101	KAMAN	कांमा	82
102	KUMHER	कुम्हेर	30
103	NAGAR	नगर	68
104	BARI	बाड़ी	200
105	DHAULPUR	धौलपुर	340
106	RAJAKHERA	राजाखेड़ा	10
107	GANGAPUR CITY	गंगापुर सिटी	163
108	TODABHIM	टोड़ाभीम	51
109	HINDAUN	हिण्डौन	328
110	KARAULI	करौली	230
111	SAWAI MADHOPUR	सवाई माधोपुर	271
112	ANUPGARH	अनुपगढ़	78
113	RAISINGHNAGAR	रायसिंहनगर	20
114	BIKANER	बीकानेर	1084
115	DESHNOKE	देशनोक	49

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajRaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

116	NOKHA	नोखा	110
117	SRI DUNGARGARH	श्रीडुंगरगढ़	70
118	GAJSINGHPUR	गजसिंहपुर	11
119	KESRISINGHPUR	केसरीसिंहपुर	17
120	SRIVIJAYNAGAR	श्रीविजयनगर	5
121	PADAMPUR	पदमपुर	25
122	SADULSHAHAR	सादुलशहर	20
123	SRI GANGANAGAR	श्रीगंगानगर	318
124	SRIKARANPUR	श्रीकरणपुर	42
125	SURATGARH	सुरतगढ़	100
126	BHADRA	भादरा	39
127	HANUMANGARH	हनुमानगढ़	164
128	NOHAR	नोहर	18
129	PILIBANGA	पीलीबंगा	45
130	RAWATSAR	रावतसर	82
131	SANGARIA	संगरीया	52
132	BIDASAR	बिदासर	64
133	CHHAPAR	छापर	30
134	CHURU	चूरू	320
135	RAJALDESAR	राजलदेसर	33
136	RAJGARH(CHURU)	राजगढ़(चूरू)	120
137	RATANGARH	रतनगढ़	109
138	RATANNAGAR	रतननगर	35
139	SARDARSHAHAR	सरदारशहर	200
140	SUJANGARH	सुजानगढ़	300
141	TARANAGAR	तरानगर	50
142	BAGGAR	बग्गड	36
143	BARI SADRI	बडी सादडी	28
144	BEGUN	बैगू	28
145	RAWATBHATA	रावतभाटा	10
146	KAPASAN	कपासन	25
147	NIMBAHERA	निम्बाहेड़ा	110
148	AMET	आमेट	24
149	DEOGARH	देवगढ़	20
150	NATHDWARA	नाथद्वारा	57
151	RAJSAMAND	राजसमन्द	83
152	BHINDER	भीण्डर	24
153	FATEHNAGAR	फतेहनगर	13
154	KANOR	कानोड़	24
155	UDAIPUR	उदयपुर	300

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Juihar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

156	CHITTAURGARH	चित्तौड़गढ़	187
157	ANTA	अन्ता	53
158	BARAN	बारा	144
159	CHHABRA	छबड़ा	52
160	MANGROL	मांगरोल	39
161	BUNDI	बूंदी	201
162	INDRAGARH	इन्द्रगढ़	26
163	KAPRAIN	कापरेन	37
164	KESHORAIPATAN	केशोरायपाटन	27
165	LAKHERI	लाखेरी	44
166	NAINWA	नैनवा	17
167	AKLERA	अकलेरा	31
168	BHAWANI MANDI	भवानीमण्डी	51
169	JHALAWAR	झालावाड़	70
170	JHALRAPATAN	झालारापाटन	120
171	PIRAWA	पिड़ावा	34
172	KOTA	कोटा	1357
173	RAMGANJ MANDI	रामगंजमण्डी	66
174	SANGOD	सांगोद	29
Total			24277

(अनुसूचित क्षेत्र)

SR.NO.	ULB NAME	नगरीय निकाय	TOTAL VACANT POST
1	MOUNT ABU	आबू पर्वत	46
2	ABU ROAD	आबू रोड	125
3	SALUMBAR	सलूम्बर	18
4	PRATAPGARH	प्रतापगढ़	70
5	CHHOTI SADRI	छोटी सादरी	25
6	BANSWARA	बांसवाड़ा	64
7	KUSHALGARH	कुशलगढ़	20
8	SAGWARA	सागवाड़ा	35
9	DUNGARPUR	डूंगरपुर	72
TOTAL			475

विशेष सूचना:-

I. निकायवार कुल रिक्तियों का विवरण पृथक से विभाग की वेबसाइट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय के रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देखकर ही आवेदन करें क्योंकि नियमानुसार आरक्षण देय है।

Signature valid

RajRaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

Digitally signed by Frank
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

- II. लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल है।
- III. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करें। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
- IV. महिला, भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) आधार पर होगा।
- V. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
- VI. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अधिसूचना दिनांक 28.07.2023 के अनुसार पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को अधिकतम पश्चात्वर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रेषित किया जायेगा। तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात् ऐसी अग्रेषित की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। परन्तु यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। परन्तु इस प्रावधान के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।
- VII. राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- VIII. महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Categorywise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक है, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।
- स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग)/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
- IX. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.01.2016 के अनुसार महिलाओं हेतु 30 प्रतिशत आरक्षित पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता

Signature valid

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

(विवाह-विछिन्न महिला) श्रेणी की महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि विज्ञापित पदों के लिए पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह-विछिन्न महिला) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएगी जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। **विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद सक्षम सिविल न्यायालय की डिक्री का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण/न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।**

- X अति पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(12)/विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- XI आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 7(1)/कार्मिक/क-2/2019 दिनांक 19.02.2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
- XII कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरुद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य छूट/रियायत का लाभ नहीं उठाया है।
- XIII राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।
- XIV बांरा जिले की **सहरिया आदिम जाति** के अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिए राज्य सरकार के निर्देश क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा। अन्यथा सामान्य श्रेणी में माना जायेगा।

XV भूतपूर्वक सैनिकों हेतु:-

- (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
- (ख) भूतपूर्व सैनिक:-

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juihar
Designation: Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र "अच्छा" श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए जैसा कि उसकी सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे पश्चात्तवर्ती नियोजन के लिए अर्हक बना दे।

भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 प्रतिशत पद आरक्षित है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7.12.2022 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गवार होगा। किसी वर्ष विशेष में पात्र और उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष में अग्रनीत की जायेगी। तथा तत्पश्चात् ऐसी रिक्तियाँ व्यपगत हो जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक एफ.5(18)कार्मिक/क-2/84 पार्ट 4 दिनांक 01.08.2021 के अनुसार राजस्थान राज्य के बाहर के भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.12.2020 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया/गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा/रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाण पत्र (N.O.C) के आधार पर आवेदन करता/करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता/जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के **दो माह की किसी कालावधि** के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा। साथ ही यदि किसी भूतपूर्व सैनिक ने आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात् राजस्थान सरकार के अधीन किसी पद पर एक बार सेवा ग्रहण कर ली है तो राजस्थान सरकार के अधीन पुनर्नियोजन के प्रयोजन के लिए उसकी भूतपूर्व सैनिक की प्रास्थिति समाप्त हो जायेगी। राजस्थान सरकार के अधीन नियोजन ग्रहण करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को एक सिविल कर्मचारी माना जायेगा। परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां किसी भी पद के लिए, किसी निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है, भूतपूर्व सैनिक को केवल इस कारण से कि वह, सरकारी सेवा में किसी निम्नतर पद, जिसका अनुभव उच्चतर पद पर सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित है, पर नियोजित है, भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और कि यदि कोई भूतपूर्व सैनिक राजस्थान सरकार के अधीन किसी नियोजन को ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पदों के लिए आवेदन करता है और संबंधित नियोजक को, राजस्थान सरकार के अधीन प्रारंभिक पद ग्रहण करने से पूर्व, विभिन्न पद जिनके लिए उसने आवेदन किया है, के लिए आवेदन की तारीख-वार ब्यौरों के बारे में कोई स्वतः घोषणा पत्र/वचनबंध देता है तो ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए उसे भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा। परन्तु यह और भी कि भूतपूर्व सैनिक जिसे राजस्थान सरकार के अधीन नैमित्तक/संविदा/अस्थायी/तदर्थ आधार पर पुनर्नियोजित किया गया है को भूतपूर्व सैनिक प्रवर्ग के फायदे से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

Signature valid

11
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

XVI उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु:—उत्कृष्ट खिलाड़ियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत देय होगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चात्तवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F5(31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो। इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों का उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान:-

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार 'उत्कृष्ट खिलाड़ी' से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं और जिन्होंने:-

- निम्न सारणी के स्तंभ संख्या 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्या 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

क्र. सं.	अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था	टूर्नामेंट/चैंपियनशिप का नाम
1	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति (आई.ओ.सी.)	ओलम्पिक गेम्स (ग्रीष्मकालीन)
2	एशिया ओलम्पिक परिषद (ओ.सी.ए.)	एशियन गेम्स
3	दक्षिण एशियन ओलम्पिक परिषद (एस.ए.ओ.सी.)	दक्षिण एशियन गेम्स, जो सामान्य सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं।
4	राष्ट्रमण्डल खेल परिसंघ (सी.जी.एफ)	राष्ट्रमण्डल गेम्स
5	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक परिषद से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय,खेल परिसंघ	विश्व कप / विश्व चैंपियनशिप
6	एशिया ओलम्पिक परिषद से संबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ	एशियन चैंपियनशिप
7	अन्तराष्ट्रीय स्कूल खेल परिसंघ (आई.एस.एस.एफ.)	अन्तराष्ट्रीय स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप
8	एशियन स्कूल खेल परिसंघ (ए.एस.एस.एफ.)	एशियन स्कूल गेम्स / चैंपियनशिप

या

- स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो:

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

12
RajKaj Ref No.:
23632976
Me e-Sign

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो:
- एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो:

या

- इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन/पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप/पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स/नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो:

नोट:—कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी में वही अभ्यर्थी आवेदन करे जिनके पास उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण-पत्र हों। यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर बिना योग्य खेल प्रमाण-पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे आवेदक के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन में भरे खेल प्रमाण पत्र की सूचना को ही स्वीकार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य खेल प्रमाण-पत्र/मिसमेच खेल प्रमाण की सूचना को मान्य नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र/डिबार किया जायेगा।

4. **विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) के लिए:**—राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन(दिव्यांगजन) को 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है:—

- अ. अल्पदृष्टि, LV(Low vision)
- ब. श्रवण बाधित, D(Deaf) and HH(Hard of Hearing)
- स. सेरेब्रल पाल्सी CP(Cerebral Palsy), कुष्ठ रोग LC(Leprosy Cured), बौनापन Dw (Dwarfism), एसिड पीडित AAV(Acid Attack Victims), एवं समस्त चलन – निःशक्तता Other Locomotor Disability OA(One Arm), OL(One Leg), BL(Both Leg) and OAL(One Arm and One Leg)
- द. (1) ऑटिज्म ASD(Autism Spectrum Disorder(mild and moderate), बौद्धिक निःशक्तता ID(Intellectual Disability), लर्निंग निःशक्तता SLD(specific Learning Disability), एवं मानसिक रूग्णता MI(Mental Illness)
- (2) बहुविकलांगता MD (Multiple Disabilities) उपरोक्त गुप-अ से द तक में वर्णित निःशक्तता एवं श्रवण शक्ति का हास एवं दृष्टि बाधित सहित।
- a) विशेष योग्यजन के लिये दर्शाये गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
- b) उपरोक्त दर्शाये गये विशेष योग्यजन के आरक्षित पदों के लिय पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार ऐसी रिक्ति को अग्रणीत किया जाएगा। जहां किसी भर्ती वर्ष में कोई

Signature valid

Digitally signed by Frank Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

13
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

रिक्ति, उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी नहीं जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती वर्ष में अग्रेषित की जायेगी और यदि आगामी वर्ष में भी उपयुक्त बैचमार्क निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः निःशक्तता की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जायेगा। यदि उस वर्ष में भी कोई निःशक्तजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को निःशक्तजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।

- c) विशेष योग्यजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं विशेष योग्यजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करे।
- d) ऐसे आवेदक जो विशेष योग्यजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी विशेष योग्यजन होने के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई विशेष योग्यजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में विशेष योग्यजन का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (विशेष योग्यजन) का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही आवेदक को विशेष योग्यजन हेतु आरक्षित पदों के लिये पात्र माना जाएगा।
- e) राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम, 2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6(B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में "यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक/या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किए गए हो, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।"
- f) कार्मिक(क-2) विभाग के राजकाज क्रमांक 17019339 दिनांक 06.08.2025 के अनुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र के संबंध में नई गाईडलाईन जारी की गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेज के अधीक्षकों को दिव्यांगता प्रमाण जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। अतः उक्त भर्ती में दिव्यांगजानों हेतु पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन में UDID कार्ड को वैध प्रमाण (VALID PROOF) के रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश:-

- (a) अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या, यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे हैं। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सद्भावी निवासी है।
- (b) अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
- (c) अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों) नियम 2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Jaiswal
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

14
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

- (d) अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति, द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के क्रम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र क्रमांक प.13(20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित (Rescind) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:-अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु,पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों के सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं अनुभव संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. अर्हताएं:-

- (a)आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो।
- (b)संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है।
- (c)संविदा सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु अनुभव:-
- 01 वर्ष का राज्य के किसी भी नगरीय निकाय का सफाई कार्य का अनुभव वाले अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे।
 - संविदा सफाई कर्मचारी भर्ती हेतु 01 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा। यह अनुभव लगातार 01 वर्ष या पृथक-पृथक समय को शामिल करते हुए 01 वर्ष का हो सकेगा।
 - राज्य की नगरीय निकायों द्वारा जारी किया जाने वाला एक वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में जो कि निम्न द्वारा जारी किया गया हो:-
 - I. राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगरपालिक अधिकारी या उनके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी, अथवा
 - II. संवेदक/प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक/प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगरीय निकाय के वरिष्ठ प्रबन्धक, ठोस कचरा या मुख्य प्रबन्धक, ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी एवं नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त (कार्मिक) या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो से प्रतिहस्ताक्षरित हो।
 - अभ्यर्थी 183 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा, एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जाएंगे।

नोट:-

Signature valid

15
RajKaj Ref No.:
23632976
Me-Sign

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Jaihar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

- सफाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय द्वारा दिनांक 01.08.2026 के पश्चात् का एवं आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी होने पर ही मान्य होगा। उक्त दिनांक से पूर्व का जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अतः सभी अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनका अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 01.08.2026 के पश्चात् ही जारी किया गया हो।
 - अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप विभागीय ऑनलाईन पोर्टल <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> पर उपलब्ध है।
 - अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर संबंधित आवेदक/संबंधित संस्था/जारीकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
7. **स्वास्थ्य एवं चरित्र :-** संविदा सफाई कर्मचारी पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि उक्त पद के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिए अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। तथा उक्त पद पर अंतिम रूप से चयन होने पर आवेदक का पुलिस सत्यापन करवाया जायेगा।
8. **मानदेय:-** नगरीय निकायों में संविदा सफाई कर्मचारी के पद पर मानदेय श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 13, दिसम्बर 2024 के अनुसार 7410/- प्रतिमाह देय होगा।
9. **राष्ट्रीयता:-**
- (a) भारत का नागरिक हो, या
 - (b) नेपाल का प्रजाजन हो, या
 - (c) भूटान का प्रजाजन हो, या
 - (d) ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या
 - (e) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार), जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।
- नोट:- परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (a), (b), (c), (d) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. **आयु :-** आवेदक 1, जनवरी 2027 को Rajasthan Contractual Hiring to Civil Posts Rules, 2022 के वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवेदक 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। अतः आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 01.01.2027 से की जावेगी।

अधिकतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:-

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Jaiswal
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

16
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

1.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी को, जो राजस्थान के मूल निवासी है।	5 वर्ष
2.	सामान्य वर्ग की महिला, जो राजस्थान के मूल निवासी है।	5 वर्ष
3.	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के मूल निवासी है।	10 वर्ष
4.	विधवा एवं विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए। स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विच्छिन्न विवाह (परित्यक्ता) महिला के मामले में उसे विच्छिन्न विवाह का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।	
5.	उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो उसकी दोषसिद्धि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर संस्थाई आधार(Substantive)पर सेवा की हो और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।	
6.	ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में, उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा जो दोषसिद्धि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।	
7.	इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जायेंगे।	
8.	कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा, राष्ट्रीय कैडेट कोर में की गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो ऐसे अभ्यर्थी को विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।	
9.	निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात् जब वे सीधी भर्ती के लिए आयोग के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जायेगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।	
10.	1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।	
11.	राज्य, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम/निगम के कार्यकलापों के संबंध में Substantive हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।	
12.	राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेसन) नियम, 1988 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी परन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद पर अनुभव भी अनिवार्य है वहां भूतपूर्व सैनिकों को इन नियमों के अधीन पहले से ही उपबंधित आयु में दिये गये शिथिलीकरण के अतिरिक्त निम्नतर पद पर के अपेक्षित अनुभव की कालावधि के बराबर आयु में शिथिलीकरण दिया जायेगा। परन्तु इन नियमों के अधीन शिथिलीकरण के पश्चात् यदि अनुज्ञेय आयु 50 वर्ष से अधिक निकलती है तो उपरी	

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Juihar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

17
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

	आयु सीमा 50 वर्ष लागू होगी किन्तु सीधी भर्ती की दशा में जहां निम्नतर पद का अनुभव अनिवार्य है वहां 55 वर्ष की अधिकतम उपरी आयु सीमा लागू होगी। स्पष्टीकरण :- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 22.8.2019 के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 यथासंशोधित के प्रावधानों के होते हुए भी किसी भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में आयु संबंधी जो शिथिलता अन्य लोक सेवकों/अभ्यर्थियों को देय है, वह भूतपूर्व सैनिक को भी देय होगी अर्थात् आयु संबंधी शिथिलता के संबंध में दोनों नियमों में जो भी हितकर प्रावधान है, उसका लाभ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा।
13.	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना दिनांक 14.10.2021 के अनुसार राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम- 2018 के उपनियम 6-A के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर बैचमार्क निःशक्तजन अभ्यर्थियों को उपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय होगी एवं यह छूट उनके वर्ग के अनुसार उपरी आयु में देय छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:-

- उपर्युक्त वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचयी (Non Cumulative) हैं, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपर्युक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर आयुसीमा में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
- कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 एवं पत्र दिनांक 14.09.2017 व 19.02.2021 के अनुसार लम्बवत् (Vertical) व क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अंतर्गत किसी श्रेणी के लिए आरक्षित पदों हेतु यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के अतिरिक्त उनको देय किसी अन्य रियायत (जैसे- आयुसीमा, आदि) का लाभ लिया जाता है तो उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति विचारित नहीं किया जायेगा।
- राजस्थान सेवा नियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी हेतु सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। इसलिए नियुक्ति दिनांक तक अभ्यर्थी की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

11. चयन प्रक्रिया:- संविदा सफाई कर्मचारी पद पर चयन नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का निम्नलिखित शर्तानुसार लॉटरी प्रक्रिया (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर द्वारा) अपनाकर वर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के अनुरूप चयन किया जावेगा।

लॉटरी प्रक्रिया हेतु शर्त:-

- (अ) प्रथमतः उसी नगरीय निकाय के 01 वर्ष अनुभव धारित अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
- (ब) यदि शर्त संख्या 'अ' की प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त विज्ञापित पद रिक्त रहते हैं, तो शेष रहे पदों हेतु आवेदित जिले की अन्य नगरीय निकाय का 01 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
- (स) यदि शर्त संख्या 'अ' एवं 'ब' की प्रक्रिया अपनाये जाने के उपरान्त भी विज्ञापित पद रिक्त रहते हैं, तो शेष रहे पदों हेतु राज्य की किसी भी नगरीय निकाय का 01 वर्ष का सफाई कार्य अनुभव रखने वाले आवेदक को लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।

नोट:-माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर द्वारा पूर्व की सफाई कर्मचारी भर्तियों में ऐसा निर्णय पारित किया गया हो जिसमें याचों को भर्ती प्रक्रिया में

Signature valid

Digitally signed by Frank Chandrashekar Julkar
Designation: Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

18
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

प्राथमिकता/नियमितिकरण करने के निर्देश दिए हो तो इच्छुक/सहमत आवेदक को उस नगरीय निकाय में आवेदन करने पर भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी।

12. विवाह पंजीयन:- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।

13. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि:-

- ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक 15.08.2026 से दिनांक 28.09.2026 को रात्रि 23.59 बजे तक विभाग की वेबसाइट पर भरें जा सकते हैं आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।
- आवेदक के समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक से पूर्व के जारी होने अनिवार्य है, ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम निर्धारित दिनांक के पश्चात् का प्रमाण पत्र होने पर वर्ग विशेष एवं अनुभव का लाभ देय नहीं होगा।
- आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पर उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की जायेगी, अतः इस संबंध में पात्रता संबंधी समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। पात्रता संबंधी दस्तावेजों की जांच के समय पात्र नहीं पाये जाने पर वह अभ्यर्थी अपात्र माना जायेगा, जानबूझ कर गलत सूचना भरे जाने की स्थिति में आवेदक के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

14. नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

- (i) आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक निकाय में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जावेंगे।
- (ii) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक की सरकार, इस बात का समाधान करने के पश्चात् ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
- (iii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसके पहले से ही कोई पत्नि है, सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट देय नहीं है।
- (iv) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा, यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।
- (ट) कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परन्तु
 - दो से अधिक संतान वाला अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि उसकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोत्तरी नहीं होती हैं।

Signature valid

19
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

Digitally signed by Pratik
Chandrashekhhar Juikar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

- जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतः प्रसव से केवल एक ही संतान है किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जाएगा।
- किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान को नहीं गिना जाएगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है, उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।
- इस उप-नियम के उपबंध किसी विधवा और विछिन्न-विवाह महिलाओं की नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।

15. आवेदन कैसे करें :- आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

- (i) अभ्यर्थी Online Application Form में अपना वही मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. अंकित करें जिस पर वह भर्ती संबंधी सूचना SMS & Email के माध्यम से चाहता है। ऑनलाइन आवेदन में अंकित मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. बदलने/बन्द होने/नेटवर्क समस्या होने पर सूचनाएँ प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
- (ii) आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभाग के विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- (iii) ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के संबंध में चाही आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (iv) ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं के आधार पर ही पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
- (v) यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र विभाग द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- (vi) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थीगण का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अंतिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं

Signature valid

Digitally signed by Pratik
Chandrashekhhar Juikar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

20
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।

- (vii) संक्षिप्त विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जायेगा एवं विस्तृत विज्ञापन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगा, इसके अध्ययन के उपरान्त ही अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन पत्र भरा जावे।
- (viii) आवेदक उक्त पद हेतु तभी आवेदन करें जब वह उक्त पद हेतु विज्ञापन में निश्चित निम्न व उच्च आयु सीमा के अन्तर्गत वांछित अर्हता एवं अनुभव से संबंधित सम्पूर्ण मानदण्ड/मापदण्ड पूर्ण करता हो। साथ ही इस विज्ञापन में दी गई उक्त वांछित अर्हता एवं अनुभव के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता एवं अनुभव को आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदक के पास विज्ञापन के अनुसार अर्हता एवं अनुभव प्रमाण-पत्र होने पर ही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र माना जायेगा।
- (ix) आवेदक को इस विज्ञापन में दी गई आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई निम्नतम आयु एवं अधिकतम आयु संबंधी छूट नहीं दी जायेगी।

लाइव फोटो और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :-

लाइव फोटो करने के लिए दिशा-निर्देश:-

- फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अस्पष्ट होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में लाइव फोटो Capture कर आवेदन Submit किया जाना आवश्यक है।
- लाइव फोटो के लिए 05 सैकेण्ड के टाईमर के पश्चात् अभ्यर्थी अपनी पलक दो-तीन बार झपकाएं, यदि आपकी फोटो बन्द आँखों के साथ कैप्चर हुई है तो फोटो पुनः कैप्चर करें।
- फोटो कैप्चर किये जाते समय अभ्यर्थी सीधा कैमरे की तरफ देखें। यदि आप चश्मे का इस्तेमाल करते हैं तो अपना फोटो चश्मे के साथ ही लें परन्तु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चश्मे पर रोशनी के कारण फोटो अस्पष्ट अथवा चमक के साथ कैप्चर ना हो।
- अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि लाइव फोटो साफ एवं पर्याप्त रोशनीमय पृष्ठभूमि के साथ ली गयी है एवं धुन्धली अथवा अन्धकारमय नहीं है।
- जब तक फोटो स्पष्ट ना हो अभ्यर्थी बारम्बार फोटो कैप्चर कर सकते हैं परन्तु एक बार फाइनल सबमिट किये जाने के उपरान्त अवसर देय नहीं होगा।
- लाइव फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
- लाइव फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
- लाइव फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
- आवेदक की लाइव फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरते समय लाइव फोटो से फोटो एडिटर एप से किसी भी प्रकार की छेड़खानी, फोटो की जालसाजी इत्यादी करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थितता किसी भी स्तर पर निरस्त की जा सकेगी। ऐसे प्रकरणों में

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juihar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

21
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

अभ्यर्थी एवं फोटो से छेड़छाड़ करने वाले व लिप्त पाये जाने वाले अभियुक्त के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश:-

- आवेदक एक सफेद कागज (A4 Size) पर 7 सेमी उँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पैन से हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान करे।
- हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान मान्य नहीं होगा।
- आयताकार बाक्स में हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान करने के बाद ईमेज स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्राप करने के पश्चात अपलोड करें।
- केवल जेपीईजी/(JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
- हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का आकार 20KB से 50KB होना चाहिए।
- मोबाईल फोन द्वारा लिया गया हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा।

16. दस्तावेज एवं प्रमाण-पत्रों के लिए दिशा -निर्देश :-

- जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हो।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। अन्य पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण-पत्र नियमानुसार नवीनतम जारी किये हुए को अपलोड करें।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर जारी किया हुआ हो। अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति के आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला आवेदक को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे वर्ग विशेष का लाभ देय नहीं होगा।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी Income & Assets Certificate प्रस्तुत करना होगा।

- 17. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम:-**आवेदन पत्र में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर अभ्यर्थियों के विरुद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved

22
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

18. अन्य दिशा निर्देश:-अभ्यर्थी को लॉटरी प्रक्रिया से संबंधित सूचना अलग से विभागीय वेबसाईट <https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/> एवं एस.एस.ओ. पोर्टल पर अवगत करवाया जायेगा। अतः कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अद्यतन जानकारी के लिये विभाग की वेबसाईट को निरंतर रूप से देखते रहें।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

23
RajKaj Ref No.:
23632976
M e-Sign

Signature valid

Digitally signed by Pratik
Chandrashekar Julkar
Designation : Director
Date: 2026.07.27 15:53:21 IST
Reason: Approved